**2.2**

संख्याः– 5810 / III(2) / 10–18(प्र0आ0) / 2010 टी0सी0–II

फाइल नम्बर...... वन 2
क्रम संख्या...... 1654
दिनांक 30/9/10

प्रेषक,
प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 20 सितम्बर, 2010

विषयः– राज्य के विभिन्न 05 विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित 44 कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये विभिन्न मोटर मार्गों के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये आगणनों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 44 कार्यों, के निर्माण पर प्रशासकीय अनुमोदन देते हुए प्रथम चरण के प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 784.44 लाख ( ₹ सात करोड़ चौरासी लाख चवालीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रति कार्य ₹ 1000/– अर्थात कुल रू0 44,000/– ( ₹ चवालीस हजार मात्र) के व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किर जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जू 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कि जायेगा।

3– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय क न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समाय विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक f द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनि

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक म दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के वि समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047 / XIV–219(2006) ...–08–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2832
28/9/10

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त ...
27 SEP 2010

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

-2-

9- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10- इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर- 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 429/XXVII/(2)/2010 दिनांक: 16 सितम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

( प्रदीप सिंह रावत )
उप सचिव

संख्या:- 5810 (1)/111(2)/10-18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0-11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( प्रदीप सिंह रावत )
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र नन्दप्रयाग में रानों से सूगी तक मोटर मार्ग का निर्माण | 2.50 | 31.50 | 0.01 |
| 36 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र नन्दप्रयाग में कनकचौरी --रौंता मोटर मार्ग पर पोगठा बैण्ड से पोगठा देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण | 1.00 | 12.60 | 0.01 |
| 37 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र नन्दप्रयाग में सरमोला --रानौं मोटर मार्ग पर सरमोला बैण्ड से सरमोला गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण | 0.500 | 6.30 | 0.01 |
| 38 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र नन्दप्रयाग में उडामाण्डा--सिनाऊ--रौंता मोटर मार्ग पर काण्डई धार बैण्ड से विरसण--मज्याड़ी--चौण्डी तक मोटर मार्ग का निर्माण | 5.00 | 63.00 | 0.01 |
| 39 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में गैरसैण में पटोटी गैड़ धारगैड़ मोटर मार्ग का निर्माण | 2.00 | 25.20 | 0.01 |
| 40 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में गैरसैण में सारकोट सम्पर्क मार्ग का भराड़ीसैण तक मोटर मार्ग का विस्तार | 3.00 | 37.80 | 0.01 |
| 41 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से धलुडा मोटर मार्ग एवं 02 आर0सी0सी0 सेतु निर्माण प्रथम चरण का कार्य | 5.00 + 2 सेतु | 65.45 | 0.01 |
| 42 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग--नौटी-- किरसाल मोटर मार्ग के किमी0 12 से चौण्डली--सेरा --बजांण-- सिलंगी मोटर मार्ग का निर्माण | 4.00 | 50.40 | 0.01 |
| 43 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में रिठोली बैण्ड से सुन्दरगांव--गैरोली मोटर मार्ग का विस्तार | 3.00 | 37.80 | 0.01 |
| 44 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में नौटी--छातोली-- कल्याडी--चौरासैंण मोटर मार्ग का निर्माण | 3.00 | 37.80 | 0.01 |
| | कुल योग:-- | | 784.44 | 0.44 |

(कुल ₹ चवालीस हजार मात्र)

अधीक्षण अभियन्ता
7 वाँ वृत्त लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर (चमोली)

पृ0सं0- 2832 / ५/यातायात/ 7/10 संलग्नक सहित दिनांक 27/9/2010

(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव।

प्रतिलिपि-- अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग/गौचर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

अधीक्षण अभियन्ता
7 वाँ वृत्त लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर (चमोली)

नि0- उपरोक्तानुसार
प्रति - बजट वर्ग
प्रति - प्रा0वर्ग

P.e. attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)